
वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2003-2004

In pursuit of banking excellence





अध्यक्ष की कलम से From the Chairman's Desk



एस.एस. कोहली S. S. Kohli

प्रिय शेयरधारक,

में आपको सहर्ष सूचित करता हूँ कि पंजाब नैशनल बैंक ने 2003-04 में 1109 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया जबिक 2002-03 में यह 842 करोड़ रुपये था और इस प्रकार इसमें 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई । आय कर, सम्पत्ति कर, एनपीए, बोनस, मूल्यहास आदि पर 2012

करोड़ रुपये का प्रावधान करने के पश्चात् हमने शुद्ध लाभ के इस स्तर को प्राप्त किया है जबकि पिछले वर्ष यह प्रावधान 1475 करोड़ रुपये था, इस प्रकार इसमें 36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई । आपके बैंक का परिचालन लाभ मार्च 2004 के अंत में 3121 करोड़ रुपये हो गया जबिक मार्च 2003 के अंत में यह 2317 करोड़ रुपये था। इस प्रकार इसमें 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

- 2. इस वर्ष के दौरान आपके बैंक ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं:
- बैंक का कुल कारोबार 1,35,000 करोड़ रुपये की सीमा को पार कर गया।
- आस्ति गुणवत्ता में और सुधार हुआ है तथा मार्च, 2004 के अंत में निवल अग्रिमों के मुकाबले निवल एनपीए का अनुपात घटकर 0.98 प्रतिशत रह गया जबिक मार्च, 2003 के अंत में इनका प्रतिशत 3.86 था।
- कृषि अग्रिमों की राशि 9363 करोड़ रुपये रही जबिक मार्च 2003 को ये अग्रिम 7084 करोड़ रुपये थे । इस प्रकार इनमें 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई और हमने 18 प्रतिशत के राष्ट्रीय लक्ष्य को पार करते हुए शुद्ध बैंक ऋणों के मुकाबले 18.5 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की ।
- बैंक ने अपनी सभी 4022 शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण कर लिया
 है । बैंक के कुल कारोबार में से 97 प्रतिशत कारोबार कम्प्यूटरों के माध्यम से हो रहा है ।
- कुल शाखाओं में से 12 प्रतिशत शाखाओं अर्थात् 504 सेवा केन्द्रों में केन्द्रीकृत बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) को अपना लिया गया है जिनके माध्यम से कुल कारोबार का 37 प्रतिशत कार्य किया जा रहा है और बैंक के 48 लाख से अधिक ग्राहकों को और अधिक बेहतर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

Dear Shareholder,

It gives me great pleasure in informing you that Punjab National Bank has earned a Net Profit of Rs1109 crore during the year 2003-04 as against Rs842 crore achieved during the year 2002-03, registering a growth of 32% This level of net profit has been achieved after making

provisions of Rs2012 crore towards income tax, wealth tax, Non-performing Advances (NPAs), bonus, depreciation, etc., an increase of 36% over Rs1475 crore made in the previous year. Operating Profit of your bank touched Rs3121 crore at the end of March 2004 compared to Rs2317 crore at the end of March 2003, registering a growth of 35%.

- During the year, your bank has crossed various milestones.
- Total business of the bank crossed the Rs1,35,000 crore mark.
- Asset quality has further improved with the ratio of Net NPAs to Net Advances declining to 0.98% at the end of March 2004 from 3.86% at the end of March 2003.
- Agricultural advances at Rs 9363 crore, compared to Rs7084 crore as at March 2003, registered a growth of 32% and the share of agricultural credit in net bank credit reached 18.5%, thus surpassing the national goal of 18%.
- All the 4022 branches of the bank have been computerised, capturing 97% of the total business on computers.
- 504 Service Outlets (SoLs) of the bank, constituting 12% of branches, have migrated to Centralized Banking Solution (CBS) covering 37% of total business and providing value-added services to over 48 lac customers of the bank.
- 3. Total deposits of the bank grew by 16% during the year, while advances registered a growth of 17.4%. Retail lending posted a growth of 40 % during the year. Priority sector advances of your bank stood at Rs22,989 crore at the end of March

- 3. वर्ष के दौरान बैंक की कुल जमाराशियों में 16 प्रतिशत और अग्रिमों में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई । वर्ष के दौरान खुदरा ऋणों में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई । मार्च 2004 में आपके बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम 22,989 करोड़ रुपये हो गए जो बैंक के शुद्ध ऋणों का 49.4 प्रतिशत है । इस प्रकार ये 40 प्रतिशत के राष्ट्रीय लक्ष्य से अधिक हैं । वर्ष के दौरान बैंक ने 2.6 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जिनसे कार्डधारकों की कुल संख्या 12 लाख हो गई । 2003-04 के दौरान लघु उद्योग ऋणों में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई । मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए बैंक के प्रयासों की सराहना के रूप में बैंक को भारत सरकार, लघु उद्योग मंत्रालय से लंगातार दो वर्षों अर्थात् 2001-02 तथा 2002-03 के लिए "लघु उद्योग क्षेत्र की ऋणों में श्रेष्ठता" के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ ।
- 4. पिछले वर्ष आपको सम्बोधित अपने पत्र में मैंने कहा था कि ग्रौद्योगिकी से वित्तीय कारोबार का स्वरुप बदल रहा है तथा ग्राहकों की अपेक्षाओं में आमूल परिवर्तन हो रहा है । ग्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में हम जो पहल कर रहे हैं उसके पीछे यही भावना कार्य कर रही है । मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मल्टी-चैनल कार्य-नीति के रूप में 100 प्रतिशत शाखा कम्प्यूटरीकरण के साथ-साथ आपके बैंक ने 404 एटीएम लगाए हैं जिनमें से 351 एटीएम नेटवर्क से जुड़े हैं । एटीएम साझेदारी हेतु 'मित्र' नाम से चार अन्य बैंकों के साथ समझौता किया गया है जिसके अन्तर्गत देश भर के 1800 एटीएम नेटवर्क का लाभ हमारे ग्राहकों को उपलब्ध है । सीबीएस शाखाओं द्वारा दी जा रही इन्टरनेट बैंकिंग सुविधा से हमारे ग्राहकों को "होम बैंकिंग" सेवा उपलब्ध है । साथ ही ग्राहक ऑन-लाइन रेलवे टिकट का आरक्षण भी करवा सकते हैं। ग्रौद्योगिकी के इस प्रकार के प्रयोग से आपका बैंक ग्राहक-सम्बन्ध सुदृढ़ बनाने और कारोबार में सुधार लाने में सफल हुआ है।
- 5. नए-नए क्षेत्रों में पंख पसारने के बैंक के प्रयासों ने अच्छे परिणाम दिए हैं । इसी कार्य-नीति को जारी रखते हुए बैंक ने प्रिंसीपल असेट मैनेजमेंट कम्पनी के म्यूचुअल फण्ड उत्पादों का विपणन शुरु कर दिया है । देश भर में फैला शाखाजाल और इतने अधिक ग्राहकों की संख्या के साथ-साथ आपका बैंक इन उत्पादों की बिक्री और समेकित शक्ति के अवसर का लाभ उठा पाएगा ।
- 6. निरन्तर लाभ बनाए रखने, आधारभूत नीतियों में सुधार और मजबूत प्रौद्योगिकी ने आपके बैंक को एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वह अपने प्रतियोगियों का मुकाबला प्रभावी ढंग से कर सकता है । मुझे विश्वास है कि आप जैसे शेयरधारकों के समर्थन और सद्भावना से पंजाब नैशनल बैंक श्रेष्ठता के मार्ग पर प्रगति करते हुए इसी प्रकार आगे बढ़ता रहेगा।

सादर,

आपका

अस्ति दिल केली

(एस.एस. कोहली)

2004, forming 49.4% of bank's net credit, surpassing the National Goal of 40%. During the year, the bank issued 2.6 lac Kisan Credit Cards, taking the total number of Kisan Credit Card holders to 12 lac. Credit to small scale industry recorded a growth of 19% during 2003-04. I am happy to mention that in recognition of its support to the development of SSI sector, your bank has won the "Excellence in lending to SSI" award from the Ministry of Small Scale Industry, Government of India for two consecutive years 2001-02 and 2002-03.

- 4. In my communication to you last year, I had mentioned that technology is redefining the financial business, even as customer expectations have undergone sea-change. This recognition has been the driving force behind our technology initiatives. I am happy to mention that besides achieving 100% computerisation of branches, as part of its multi-channel strategy, your bank has set up 404 ATMs, of which 351 have been interconnected. The bank's ATM sharing arrangement with 4 other banks under the "MITR" network provides access to 1800 ATMs across the country to the customers. The internet banking facility offered at the CBS branches provide the convenience of "Home Banking" to our customers. Besides, customers can also use the facility to book railway tickets on-line. Such use of technology has enabled your bank to strengthen customer relationships and improve business.
- 5. The diversification initiatives of the bank have shown promising results. Continuing this strategy further, the bank has begun marketing of mutual fund products of the Principal Asset Management Company. The nationwide network of branches and the large customer base, combined with use of technology would provide your bank opportunities for cross-selling and achieving synergy.
- 6. Consistent profit performance, improved fundamentals and strong technology base have provided your bank distinct advantages to meet the forces of competition effectively. I am confident that with the support and goodwill of all the stakeholders like you, Punjab National Bank will continue its steady progress towards excellence.

With regards,

Yours Sincerely,

(S S Kohli)

निदेशक मंडल Board of Directors



एस.एस. कोहली S. S. Kohli



पी. एम. सिराजुद्दीन P. M. Sirajuddin



डॉ. के. वी. राजन Dr. K.V. Rajan



के. एस. सम्पथ K.S. Sampath



पी. आर. मेहता P.R. Mehta



पी. के. नय्यर P. K. Nayar



वी. के. वढेरा V. K. Vadhera



अशोक जैन Ashok Jain



सुदर्शन सरीन Sudarshan Sareen



डॉ. प्रीतम सिंह Dr. Pritam Singh



मोहनजीत सिंह Mohanjit Singh



ए. एस. अग्रवाल A. S. Agarwal

उच्च प्रबंधन टीम Top Management Team



एस. के. अवस्थी S. K. Awasthi



सी. पी. स्वर्णकार C. P. Swarnkar



पी. एन. खुराना P. N. Khurana



पी. एल. मदान P. L. Madan



बी. एम. शर्मा B. M. Sharma



के. जी. सत्यसिंगन K.G. Sathyasingan



वी. नागराजा V. Nagaraja



एम. एस. आफताब M. S. Aftab



बी. एम. मित्तल B. M. Mittal



डी. एल. रावल D. L. Rawal



ए.डी. पालीवाल A. D. Paliwal



यू.एस. भार्गव U. S. Bhargava



ए. बालासुब्रामणियन A. Balasubramanian



वी.के. नागर V. K. Nagar



हरवन्त सिंह Harwant Singh



अरूण कौल Arun Kaul



आर.आई.एस. सिद्ध R. I. S. Sidhu



वाई.एन. माथुर Y. N. Mathyr

SANSCO SERVICES - Annual Reports Library Services - www.sansco.net

विषय सची **CONTENTS** पुष्ठ सं. / Page No. नोटिस Notice कार्य निष्पादन सम्बन्धी प्रमुख तथ्य Performance Highlights 10 निदेशक रिपोर्ट Directors' Report 11 कार्यनिष्पादन समीक्षा Performance Review 12 वित्तीय विशिष्टताएं 13 Financial Highlights प्रबन्धन विचार-विमर्श तथा विश्लेषण Management Discussion and Analysis 15 निगमित शासन की रिपोर्ट Report on Corporate Governance 33 निगमित शासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र Auditors' Certificate on Corporate Governance 46 वित्तीय विवरण-पत्र - पं.नै.बैं. Financial Statements - PNB 47 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि लेखा Balance Sheet and Profit & Loss Account 48 अनुसूचियाँ Schedules 50 प्रमुख लेखा-नीतियाँ Significant Accounting Policies 60 खातों संबंधी टिप्पणियाँ Notes on Accounts 65 नकदी प्रवाह विवरण-पत्र Cash Flow Statement 74 लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन Auditors' Report 77 समेकित वित्तीय विवरण-पत्र Consolidated Financial Statements: 79 तुलन पत्र एवं लाभ व हानि लेखा Balance Sheet and Profit & Loss Account 80 अनुसुचियाँ Schedules 82 प्रमुख लेखा नीतियाँ तथा Principal Accounting Policies and खातों संबंधी टिप्पणियौं Notes on Accounts 94 नकदी प्रवाह विवरण-पत्र Cash Flow Statement 105 लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन Auditors' Report 107 प्रॉक्सी फार्म Proxy Form 109 उपस्थिति पर्ची Attendance Slip 111 Bank Account Particulars Form बैंक खाता सम्बन्धी विवरण-फाम 113 इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा फार्म Electronic Clearing Service (ECS) Form 115

लेखापरीक्षक

कालानी एण्ड, कम्पनी सुरेन्द्र के. जैन एण्ड कम्पनी मुखर्जी बिसवास एण्ड पाठक एम. सी. भंडारी एण्ड कम्पनी पी. के. चोपड़ा एण्ड कम्पनी जी. पी. कपाडिया एंड कंपनी

Auditors

Kalani & Co. Surendar K. Jain & Co. Mookherjee Biswas & Pathak M.C. Bhandari & Co. P.K. Chopra & Co. G.P. Kapadia & Co

रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट

एमसीएस लिमिटेड श्री वेंकटेश भवन, डब्ल्यू–40 ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-।। नई दिल्ली – 110 020

फोन : 011 - 26384783 ईपीएबीएक्स 011 - 26384909/10/11/14 ई मेल : pnb.@mcsdel.com.

Registrar & Share Transfer Agent

MCS Ltd.
Sri Venkatesh Bhavan
W-40, Okhla Industrial Area Phase II
New Delhi – 110020
Tel. No. **Direct**: **011 - 26384783 EPABX: 011 - 26384909/10/11/14**Fax No. 011-26384907

e-mail: pnb.@mcsdel.com.

SANSCO SERVICES - Annual Reports Library Services - www.sansco.net

पंजाब नैशनल बैंक

प्रधान कार्यालय: 7. भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

नोटिस

एतदृद्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बेंक के शेयरधारकों की तृतीय वार्षिक आम बैठक शनिवार 3 जुलाई, 2004 को प्रात: 11.30 बजे फिक्की आडिटोरियम, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली-110 001 में होगी जिसमें निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जाएगी:

- 1. ''बैंक की 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ व हानि लेखा तथा उक्त लेखा अविध में बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों पर बैंक के निदेशक-मण्डल की रिपोर्ट एवं तुलनपत्र तथा लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने 'हेतु।''
- 2. ''निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करने तथा इसे उपयुक्त समझे जाने पर संशोधनों सहित अथवा संशोधनों रहित पारित करने हेतु''
 - "संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को सूची से हटाना) मार्गनिर्देश-2003 के खण्ड-5 तथा इस सम्बन्ध में जारी मार्ग निर्देशों के समय-समय पर यथासंशोधित सम्बन्धित प्रावधानों के अनुसरण में तथा सेबी द्वारा इस सम्बन्ध में बनाए जाने वाले किसी भी विनियम के अनुसरण में पंजाब नैशनल बैंक के सदस्य, पंजाब नैशनल बैंक के निदेशक मण्डल को एतद्द्वारा सहमित देते हैं कि वह दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड के पास पहले से सूचीबद्ध अपने इक्विटी शेयर को दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड की सूची से हटाने के उद्देश्य से दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लि. के पास आवेदन करें।"
 - "यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को एतद्द्वारा पृथक-पृथक प्राधिकृत किया जाता है कि वे उस तिथि का निर्धारण करें, जब से शेयरों को सूची से हटाना प्रभावी होगा, वे इस सम्बन्ध में आवेदन करें तथा इस सम्बन्ध में अपेक्षित अन्य समस्त कार्रवाईयाँ करें।"

नई दिल्ली

दिनांक: 15.5.2004

एस.एस. कोहली (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक)

Punjab National Bank

Head Office: 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi-110 066

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Third Annual General Meeting of the shareholders of PUNJAB NATIONAL BANK will be held on Saturday, the 3rd of July, 2004 at 11.30 a.m. at FICCI Auditorium, Tansen Marg, New Delhi-110001, to transact the following business:

- 1. "To discuss the Balance Sheet of the Bank as at 31.3.2004, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2004, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts".
- 2. "To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following resolution(s):

"RESOLVED THAT, pursuant to clause 5 of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of securities) Guidelines 2003 and other relevant provisions of the Guidelines thereof, as may be amended from time to time and pursuant to the framing of any Regulations in this regard by SEBI, consent of the members of Punjab National Bank be and is hereby given to the Board of Directors of Punjab National Bank to make an application to The Delhi Stock Exchange Association Ltd. for the purpose of delisting the equity shares of the Bank from The Delhi Stock Exchange Association Ltd., which are already listed with the above mentioned Stock Exchange."

"FURTHER RESOLVED THAT, the Chairman & Managing Director and the Executive Director of the Bank be and are hereby severally authorized to determine the date from which such delisting will be effected and to make necessary application and to do all other acts and things necessary in this regard."

New Delhi

Date: 15.5.2004

S.S. KOHLI (Chairman and Managing Director)

टिप्पणियाँ

स्पष्टीकरण विवरण-पत्र

नोटिस की मद-2 जो दिल्ली स्टार्क एक्सचेंज (डीएसई) की सूची से बैंक के शेयर को हटाने के सम्बन्ध में है, के बारे में तथ्यपरक जानकारी देने वाली विवरणी:

वर्तमान में बैंक के इक्विटी शेयर डीएसई, एनएसई तथा बीएसई में सूचीबद्ध हैं। डीएसई में होने वाली कारोबारी मात्रा नगण्य अथवा लगभग शून्य हो गई है। तथापि, निवेशकों को एनएसई और बीएसई के माध्यम से आनलाइन . ट्रेडिंग की सुविधा उपलब्ध है।

सेबी ने हाल ही में मार्गिनिर्देश बनाए हैं, जिनमें समय-समय पर सेबी द्वारा संशोधन किया जा सकता है, जिसमें कम्पनियों/बैंकों को अपने शेयर किन्ही स्टाक एक्सचेंजों की सूची से हयने की अनुमित दी गई है, बशर्ते कि कम्पनी/बैंक बीएसई अथवा एमएसई के पास अपने शेयर सूचीबद्ध रखें। डीएसई में कारोबार की मात्रा को नगण्य अथवा लगभग शून्य मानते हुए तथा बीएसई एवं एनएसई में निवेशकों को उपलब्ध पर्याप्त तथा नियमित तरलता को देखते हुए, निदेशक मण्डल ने अपने शेयर को केवल दिल्ली स्यक एक्सचेंज एसोसिएशन लि. (डीएसई) की सूची से हयने का निर्णय लिया है।

इसके लिए बैंक के लिए आवश्यक है कि वह अपने शेयरधारकों की सहमति संकल्प के माध्यम से प्राप्त करे। तदनुसार वार्षिक आम बैठक के नोटिस में एक मद शामिल की गई है जिसमें उक्त प्रस्ताव पर आपकी सहमति अपेक्षित है।

निदेशक मण्डल नोटिस में उल्लिखित संकल्प को पास करने की अनुशंसा करता है।

उक्त संकल्पों से बैंक के किसी निदेशक का कोई निजी हित अथवा सम्बन्ध नहीं है।

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने और मत देने के पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर उपस्थित होने और मत देने हेतु प्रॉक्सी नियुक्त करने का भी पात्र होगा तथा ऐसी प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होने की आवश्यकता नहीं है।

ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बैंक का कर्मचारी या अधिकारी है, पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

तथापि, प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त की जाने वाली लिखत, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में स्थित पंजाब नैशनल बैंक के शेयर विभाग (द्वितीय तल) में, बैठक शुरू होने से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् मंगलवार 29 जून, 2004 को कारोबारी घंटों की समाप्ति तक जमा कर दी जाए।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियक्ति

कोई भी ऐसा व्यक्ति, किसी कम्पनी/निगम/निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, तब तक बैठक में उपस्थित होने या मत देने का पात्र नहीं होगा, जब तक उस बैठक, जिसमें यह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने वाले संकल्प की सत्यप्रति पीएनबी भवन, द्वितीय तल, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 में स्थित पंजाब नैशनल बैंक के शेयर विभाग में, बैठक होने से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् मंगलवार 29 जून, 2004 को कारोबारी घंटों की समाप्ति तक जमा न कर दी गई हो।

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of item 2 of the Notice regarding the delisting of Bank's shares from the Delhi Stock Exchange (DSE):

The equity shares of the Bank are presently listed on DSE, NSE and BSE. The trading volume through DSE has become negligible or almost nil. However, the investors have the facility of online trading through NSE and BSE.

SEBI has recently formulated guidelines, which may be amended by SEBI from time to time, that allows the companies/banks to get their shares delisted from certain Stock Exchanges, provided the company/bank continues the listing with BSE or NSE.

Considering the volume of trading on DSE to be insignificant or almost nil and in view of the availability of sufficient and continued liquidity to the investors on BSE and NSE, the Board of Directors have decided to get the shares delisted only from The Delhi Stock Exchanges Association Ltd. (DSE).

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a Resolution. Hence an item is included in the Notice for the AGM, requesting your consent for the above proposal.

The Board of Directors recommends the passing of the Resolutions as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s).

2. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

No person shall be appointed as a Proxy who is an officer or an employee of the Bank, as per provisions of Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000.

The instrument appointing proxy should, however, be deposited at the Share Department, 2nd Floor, 5, Sansad Marg, New Delhi-110001 **not less than four days** before the commencement of the meeting i.e. on or before the closing business hours of Tuesday, the 29th June 2004.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of PNB as the duly authorized representative of a company/corporation/body corporate, unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Share Department of the Bank located at PNB Building, 2nd floor, 5 Sansad Marg, New Delhi 110001, not less than four days before the commencement of meeting i.e. on or before the closing business hours of Tuesday, the 29th June 2004.

ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बैंक का कर्मचारी या अधिकारी है, पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिक्त प्रतिनिधि के रूप में नियक्त नहीं किया जा सकता।

उपस्थित पर्ची तथा प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची तथा प्रवेश पास इस नोटिस के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसमें दर्शाए गए उचित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा बैठक स्थल पर इसे दे दें।

5. शेयरधारक रजिस्टर का बंद होना

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा अंतरण बहियां शनिवार 26 जून, 2004 से शनिवार 3 जुलाई, 2004 (दोनों दिवस शामिल हैं) बंद रहेंगी।

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में लाभांश वारंट उन शेयरधारकों को 2 अगस्त, 2004 को या उससे पूर्व भेज दिए जाएगें जिनके नाम शेयर अंतरण एजेंट/एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा दी गई सूचियों के अनुसार 25 जून, 2004 को सदस्यों/हिताधिकारी स्वामियों के रजिस्टर में सम्मिलित होंगे।

लाभांश अथवा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा के लिए बैंक अधिदेश

- (क) इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली शेयरधारकों के बैंक खातों में, लाभांश वारंट जैसी किसी लिखत के बिना ही इलेक्ट्रानिक अंतरण के माध्यम से लाभांश को सीधे क्रेडिट करने सम्बन्धी पद्धित है। यह सुविधा उन शेयरधारकों को उपलब्ध है जिनके बैंक खाते संलग्न ईसीएस अधि दिश फार्म में उल्लिखित नगरों में हैं। जो शेयरधारक इस सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे ईसीएस अधिदेश फार्म बैंक के शेयर अंतरण एजेंट यथा एमसीएस लिमिटेड, श्री वेंकटेश भवन, डब्ल्यू-40 ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-11, नई दिल्ली-110 020 को समय रहते प्रस्तुत कर दें। यदि शेयरधारकों ने पहले ही ईसीएस अधिदेश प्रस्तुत कर दिया है तथा शेयर अंतरण एजेंट को प्रस्तुत विवरणों में कोई परिवर्तन नहीं है तो पुन: ईसीएस अधिदेश प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है।
- (ख) वारंटों के धोखाधड़ी से नकदीकरण से बचाव के लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम तथा शाखा सम्बन्धी सूचना दें जहाँ वे अपना लाभांश वारंट नकदीकरण हेतु जमा कराना चाहते हैं। ये विवरण लाभांश वारंटों के चैक भाग में शेयरधारक के नाम के अतिरिक्त मुद्रित किए जाएंगे ताकि इन वारंटों का कोई अन्य नकदीकरण न करा सके। उपर्युक्त उल्लिखित ब्यौरे प्रथम/एकल शेयरधारक द्वारा सीधे शेयर अंतरण एजेंट को भेज दिए जाएं जिसे फोलियो सं. अथवा डीपी आई सं. तथा ग्राहक आई संख्या व उसके द्वारा धारित शेयरों की संख्या सम्बन्धी विवरण दिए जाएं। यह उन समस्त शेयरधारकों पर लागू होगा जिन्होंने ईसीएस अधिदेश प्रस्तृत नहीं किया है।

7. पते में परिवर्तन तथा अन्य अनुदेश

मूर्तरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पते में परिवर्तन, लाभांश अधिदेश तथा बैंक शाखा तथा बैंक खाता संख्या संबंधी विवरण शेयर अंतरण एजेंट को सूचित करें ताकि उनके लाभांश वारंट पर No person shall be appointed as duly authorized representative who is an officer or an employee of the Bank, as per the provisions of Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations 2000.

4. ATTENDANCE SLIP AND ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy holders/ Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue.

5. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Saturday the 26th June 2004 to Saturday the 3rd July 2004 (both days inclusive).

Dividend warrants, in respect of final dividend, if any, declared for the financial year 2003-2004 by the Board of Directors of the Bank shall be made on or before 2nd August 2004 to those shareholders whose names appear in the Register of Members/Beneficial Owners as on 25th June 2004 and as per the lists to be furnished by Share Transfer Agents / NSDL/CDSL.

6. BANK MANDATE FOR DIVIDEND OR ELECTRONIC CLEARING SERVICE

- (a) Electronic Clearing System is a method of directly crediting the dividend to the shareholders' bank accounts by electronic transfer, without the medium of an instrument like dividend warrant. This facility is available to shareholders who are having bank accounts at the cities mentioned in the ECS mandate form enclosed at the end. Shareholders desirous of using this facility are requested to submit, the ECS mandate form to the Share Transfer Agents of the Bank viz, MCS Ltd, Sri Venkatesh Bhavan, W-40, Okhla Industrial Area Phase II, New Delhi 110 020 well in time. If the shareholders have already submitted ECS mandate and there is no change in particulars submitted to the Share Transfer Agents there is no need to submit ECS mandate once again.
- (b) In order to get protection from fraudulent encashment of warrants, shareholders are requested to furnish their bank account number, the name of the Bank and the branch where they would like to deposit the dividend warrant for encashment. These particulars will be printed on the cheque portion of the dividend warrants, besides the name of the shareholder so that these warrants can not be encashed by anyone else. The above mentioned details should be furnished by the first/sole shareholder directly to the Share Transfer Agent quoting the folio No. or DP ID No. and Client ID No. and the number of shares held. This is applicable for all the shareholders who have not submitted ECS mandate.

7. CHANGE OF ADDRESS AND OTHER INSTRUCTIONS

Shareholders holding shares in physical form are requested to communicate to the Share Transfer Agent regarding the change of address, dividend mandate and the particulars of the bank, branch and bank account